



एम.पी.पी.सी.एस. मुख्य परीक्षा-2021

हिन्दी निबंध एवं प्रारूप लेखन

(प्रश्न पत्र-VI)

MPPCS Mains Exam Paper-2021

Hindi Essay And Draft Writing

(Question Paper-VI)

M-2021 – VI

अनुक्रमांक / Roll No.

--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक यहाँ लिखें ।

Candidate should write his/her Roll No. here.

कुल प्रश्नों की संख्या : 3

Total No. of Questions : 3

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 2

No. of Printed Pages : 2

M-2021 – VI

हिन्दी निबंध एवं प्रारूप लेखन

HINDI ESSAY AND DRAFT WRITING

छठा प्रश्न-पत्र

SIXTH PAPER

समय : 02 घंटे]

Time : 02 Hours]

[पूर्णांक : 100

[Total Marks : 100

प्रश्न : 1. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 1000 शब्दों में निबंध लिखिए ।
अभ्यर्थी जिस निबंध को लिख रहे हैं, उस विकल्प के शीर्षक का उल्लेख उत्तर के पूर्व
अनिवार्यतः करें । प्रश्न 50 अंकों का है ।

(1×50=50)

प्रश्न : (1.1) लोकहित लोकतंत्र का उद्देश्य है ।

प्रश्न : (1.2) देश के नव-निर्माण में युवावर्ग की भूमिका ।

प्रश्न : (1.3) तुलसी साहित्य और इसकी प्रासंगिकता ।

प्रश्न : (1.4) शिक्षा और जीवन मूल्य ।

प्रश्न : 2. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए।
अभ्यर्थी जिस निबंध को लिख रहे हैं, उस विकल्प के शीर्षक का उल्लेख उत्तर के पूर्व अनिवार्यतः करें। प्रश्न 25 अंकों का है। (1×25=25)

- प्रश्न : (2.1) खेल-शक्ति के रूप में उभरता भारत।
प्रश्न : (2.2) बाल श्रमिकों की समस्या और समाधान।
प्रश्न : (2.3) भारत में बढ़ता जल-संकट एवं उसका समाधान।
प्रश्न : (2.4) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व एवं विनियमन।

प्रश्न : 3. इस प्रश्न में प्रारूप लेखन के 02 उप-प्रश्न (3.1 एवं 3.2) हैं। प्रत्येक प्रारूप लेखन हेतु अधिकतम शब्द सीमा 250 शब्द है। अभ्यर्थी जिस प्रारूप लेखन को लिख रहे हैं, उस विकल्प के शीर्षक का उल्लेख उत्तर के पूर्व अनिवार्यतः करें। प्रश्न 25 अंकों का है। 25 अंक

प्रश्न : (3.1) स्वयं को सचिव, उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन मानते हुए सभी जिलाधिकारियों को खनन नियमावली में हुए संशोधन के संदर्भ में एक शासकीय पत्र लिखिए।

अथवा

स्वयं को सचिव, शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन मानते हुए एक परिपत्र लिखिए जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि विभागीय सभी कर्मचारी अपने कार्यालयों में समय से उपस्थित हों एवं कार्य समाप्ति के उपरांत ही कार्यालय छोड़ें।

प्रश्न : (3.2) श्री महेश आई.ए.एस., जो इस समय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, मध्यप्रदेश भोपाल में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, अब उनका स्थानान्तरण जिला अधिकारी इंदौर हो गया है, इसकी अधिसूचना जारी कीजिए।

अथवा

जिला पूर्ति अधिकारी, उज्जैन को सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों की अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराने हेतु एक प्रतिवेदन लिखिए।